भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 313
दिनांक 22/07/2025 को उत्तरार्थ

भूमि अभिलेख हेतु स्वामित्व योजना

313 डॉ. अमर सिंहः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वामित्व (गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण) योजना बेहतर ग्रामीण नियोजन एवं शासन के लिए सटीक भूमि अभिलेख सुनिश्चित करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) जी, हाँ। स्वामित्व योजना बेहतर ग्रामीण नियोजन और शासन के लिए सटीक भूमि अभिलेख सुनिश्चित करती है। इसका विवरण निम्नानुसार हैं:

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण संपत्ति स्वामियों को अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान करने हेतु स्वामित्व योजना लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का सीमांकन करना है और यह पंचायती राज मंत्रालय**,** राज्य राजस्व विभागों**,** राज्य पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस योजना के कई उद्देश्य हैं – जैसे संपत्ति कार्ड के आधार पर बैंक से ऋण लेना**,** संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना और व्यापक ग्राम स्तर की योजना बनाना।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के मानचित्र 1:500 के पैमाने पर 5 सेमी की सटीकता के साथ तैयार किए जाते हैं, जिनका उपयोग पंचायतों द्वारा बेहतर पंचायत विकास संबंधी योजनाएँ तैयार करने के लिए किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक अवसंरचना के रूप मेंस्थापित 567 सतत प्रचालन संदर्भ स्टेशनों (सीओआरएस) का नेटवर्क उच्च सटीकता वाली स्थिति की सेवाएँ प्रदान करता है जिनका उपयोग किसी भी विभाग या एजेंसी द्वारा नियोजन और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

स्वामित्व योजना द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूमि प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित

करने का अवसर भी प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों द्वारा ग्रामीण भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के लिए संपूर्ण/एंड टू एंड ऑनलाइन प्रणालियाँ बनाई गई हैं, जिससे ग्रामीण भूमि प्रशासन बेहतर हुआ है।

दिनांक 17 जुलाई, 2025 तक, 3.23 लाख गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, 1.69 लाख गाँवों के लिए 2.56 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल और लद्दाख में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, गोवा, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली, दमन, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भी यह योजना पूरी हो चुकी है। विवरण अनुलग्नक-1 पर है।

***

अनुलग्नक-**1**

'भूमि अभिलेख हेतु स्वामित्व योजना' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 313 जिसका उत्तर दिनांक 22.07.2025 को दिया गया है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

–

स्वामित्व योजना की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अधिसूचित गाँव**	**ड्रोन उड़ान वाले गांव**	**उन गांवों की संख्या जिनके लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए गए**	**तैयार किए गए संपत्ति कार्डों की संख्या**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	186	186	141	7409
2	आंध्र प्रदेश	13321	13321	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	5596	3630	0	0
4	असम	1074	946	0	0
5	छत्तीसगढ़	15791	15791	1785	103909
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	80	80	75	4397
7	दिल्ली	31	31	0	0
8	गोवा	410	410	410	672646
9	गुजरात	15052	14199	8882	1453879
10	हरियाणा	6260	6260	6260	2515646
11	हिमाचल प्रदेश	15196	13920	364	5395
12	जम्मू और कश्मीर	4431	4404	1294	39204
13	झारखंड	757	240	0	0
14	कर्नाटक	30757	20814	3966	1019105
15	केरल	597	597	0	0
16	लद्दाख	232	232	225	15623

17	लक्षद्वीप द्वीप समूह	10	10	10	13563
18	मध्य प्रदेश	43014	43014	36998	4610793
19	महाराष्ट्र	37819	37609	17961	2839776
20	मणिपुर	2555	209	0	0
21	मिजोरम	550	433	27	2909
22	ओडिशा	3054	2724	43	3112
23	पुद्दुचेरी	96	96	92	2801
24	पंजाब	12083	10458	178	24089
25	राजस्थान	36,300	35929	14,364	1123948
26	सिक्किम	1	1	0	0
27	तमिलनाडु	3	3	0	0
28	तेलंगाना	5	5	0	0
29	त्रिपुरा	898	19	893	571783
30	उत्तर प्रदेश	90573	90573	67987	10373787
31	उत्तराखंड	7441	7441	7441	278229
	कुल	**344,173**	**323585**	**169396**	**25682003**

***